राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग

———

क्रमांकः F.22(12)Edu-1/2025-26487-6811962 जयपुर, दिनांकः

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान एवं
पदेन अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक (वरिष्ठ),
समग्र शिक्षा अभियान।

विषय :– वरिष्ठ व्याख्याता का नवीन पद सृजन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रदत्त निर्देश (CM Directions : CMD02059) की क्रियान्विति एवं पालना में स्कूल शिक्षा विभाग के अन्तर्गत प्रशासनिक स्वीकृति उपरान्त वित्त (नियम) विभाग की आईडी संख्या 216 दिनांक 19.03.2025 द्वारा प्रदत्त सहमति अनुसार विभागीय समसंख्यक पत्र संदर्भ संख्या 14482092 दिनांक 28.03.2025 द्वारा उप प्राचार्य (Vice-Principal) कैडर को Dying Cadre घोषित किया गया है। इसी क्रम में वित्त (नियम) विभाग द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुक्रम में निम्नांकित बिन्दुवार स्वीकृति एतदद्वारा प्रदान की जाती हैंः–

1. 'वरिष्ठ व्याख्याता का एक नया पद सृजित किया जाता, ताकि व्याख्याताओं को पदोन्नति के अवसर प्रदान किए जा सकें तथा विद्यालयों में शिक्षण गुणवत्ता में वृद्धि हो सके। वरिष्ठ व्याख्याता के पद का वेतन स्तर RCS(RP) नियमों के अनुसार एल–14 होगा।
2. उप प्राचार्य के पदो को घोषित करने से मौजूद रिक्त पदों के साथ–साथ रिक्त होने की संभावना वाले पदों को वेतन स्तर एल–14 में वरिष्ठ व्याख्याता के नए पद में परिवर्तित किया जाएगा। इस रूपांतरण से मौजूदा कैडर संरचना को बनाए रखने से व्याख्याताओं के लिए पदोन्नति पदानुक्रम और कैरियर उन्नति के अवसर स्थापित होंगे।
3. वरिष्ठ व्याख्याता (वेतन स्तर एल–14) का पद वेतन स्तर एल–12 वाले व्याख्याताओं के पद से 100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा भरा जाएगा, जिनके पास कम से कम तीन वर्ष का अनुभव हो।''

अतः वित (नियम) विभाग द्वारा प्रदत्त सहमति एवं प्रशासनिक स्वीकृत अनुसार कृपया राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियमों में उपरोक्तानुसार वॉछित नियम संशोधन हेतु प्रस्ताव **तत्काल** भिजवाने का श्रम करावें।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Verma
Designation : Deputy Secretary To Government
Date: 2025.03.31 13:10:32 IST
Reason: Approved

भवदीय

(ओ.पी.वर्मा)
संयुक्त उप सचिव

RajKaj Ref No.: 14499195

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ट सहायक माननीय शिक्षा मंत्री महोदय।
2. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग।
6. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (नियम) विभाग।
7. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग।
8. वरिष्ठ लेखाधिकारी, स्कूल शिक्षा विभाग।
9. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Verma
Designation : Deputy Secretary To Government
Date: 2025.03.31 13:10:32 IST
Reason: Approved